

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संख्या— वि० प्रा० (II) निजी—41/2025/ 12/3 /पटना, दिनांक — 13/3/25

श्रीमती आशा रानी, सहायक प्राध्यापक (विद्युत), राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर को वित्त विभाग के पत्रांक—9889 दिनांक—01.12.2015 की कंडिका—03 एवं 05 में निहित प्रावधानों के अधीन द्वितीय संतान के जन्म हेतु दिनांक—12.02.2025 से दिनांक—10.08.2025 तक कुल—180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/9
12.3.25

अवर सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि० प्रा० (II) निजी—41/2025/ 12/3 /पटना, दिनांक—13/3/25

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर एवं श्रीमती आशा रानी, सहायक प्राध्यापक (विद्युत), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9
12.3.25

अवर सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।